# फर्द अहकाम

## कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बड़गॉव, उदयपुर

प्रार्थीः— अलका विपक्षीः— सरकार

किस्म मुकदमाः—प्रार्थना पत्र पत्रावली संख्याः— 70/19 सनः— 2019

| कार्यवाही विवरण | हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई |
|---|---|
| 06.01.2020<br><br>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली वास्ते मौका रिपोर्ट हेतु नियत हैं। प्रकरण में दिनांक 06.11.19 को प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र लगाकर निवेदन किया कि मौजा सरे में स्थित प्रार्थीगण की आराजी संख्या 345 रकबा 5.0700 हैक्टर भूमि में आने जाने हेतु इस भूमि से लगी हुई आराजी संख्या 3673/345 बिलानाम सरकार में रास्ता कायमी हेतु 170 मीटर लम्बा एवं 9.2 मीटर चौड़ा अर्थात 30 फीट चौड़ा कुल 1533.40 मीटर भूमि रास्ता उपलब्ध कराये जाने हेतु आवंटित करने के आदेश प्रदान करें। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुल प्रार्थना पत्र 251 ए में उक्त सरे की भूमि में से रास्ता नहीं चाहा गया है जिससे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 06.11.19 का खारीज किया जाता हैं।<br><br>न्यायालय द्वारा स्वयं दिनांक 31.12.19 को बशामलात पटवारी कैलाशपुरी एवं भू.अभिलेख निरीक्षक सापेटिया रास्ते बाबत मौका निरीक्षण किया गया। मौजा मुणवास में स्थित प्रार्थीगण की आराजीयात 1641/1631 एवं 1642/1632 भुमि पडत होकर पहाडी है जिस पर किसी प्रकार का कृषि कार्य नहीं किया जाता है। मौके पर उपरोक्त भुमि पर पहुॅच हेतु बिलानाम आ0न0 1434, 1435 में से होकर 20 से 25 फीट चौडा रास्ता उपलब्ध होकर आवाजाही हेतु कोई रूकावट नहीं हैं। अतः कृषि हेतु पर्याप्त रास्ता उपलब्ध होने एवं रास्ते में कोई रूकावट नहीं होने की स्थिति में पृथक से रास्ते हेतु भूमि आवंटित किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता हैं। जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता हैं। प्रकरण में विस्तृत निर्णय पृथक से टंकण करा पत्रावली संलग्न किया गया।<br><br>पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।<br><br>Manju<br>डॉ. मंजु (आई.ए.एस.)<br>उपखण्ड अधिकारी<br>बड़गॉव उदयपुर<br>उपखण्ड अधिकारी<br>बड़गॉव जिला-उदयपुर | |

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2020.02.25 15:26:31 IST
Reason: SelfAttested